


फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी रोड़वा व मुकाम रोड़वा

पंथासाराज पटौरा बनाम श्रीमजराता पटौरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन मुकदमा नम्बर 347 / 2023

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/11/23	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री. श्री. राजसाराज पटौरा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 R.T.A.C.T राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/12/23 को पेश हो।</p> 	
19/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। विप्रार्थी/वादी के सम्मन तलब। अदम्य राजस्व अहकाम के तहत पत्रावली आईलडा दिनांक 04/01/23 को पेश की।</p>	
04/01/23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपर। विप्रार्थी/वादी के नोटिस Registered तामील हुआ प्राप्त जिन तामील पत्रावली छिया जाता है विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामील हुआ प्राप्त होने के बावजूद प्रार्थी उपर नहीं हुआ अतः उनके किराह फलरफा अमनाही अमल में लखि जाती है। प्रार्थी वकील ने बतलव हेतु</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 347/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पांचाराम वगैरा बनाम अजीजला वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह II आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री आम्बाराम पुनड़

निर्णय

दिनांक - 04/01/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खसरा संख्या 497/168 रकबा 6.0703 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खसरा संख्या 497/168 रकबा 6.0703 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(विरेन्द्रसिंह II)
उपखण्ड अधिकारी
(SBO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी

1. पांचाराम पुत्र चान्दाराम 2. तारीदेवी पत्नि सिमरथाराम
जाति मेघवाल निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अजीजला खां पुत्र हनीफ 2. इधा पत्नि हनीफ 3. ईमाम
खान पुत्र हनीफ 4. ईशाक पुत्र हनीफ 5. लतीफ खां पुत्र
हनीफ 6. इमणा पत्नि कुबरा 7. जुसब पुत्र उमर 8. जीयर
पत्नि बचा 9. जीहरी पत्नि कुबरा 10. मीठा पुत्र बचा 11.
मीर पुत्र बचा 12. सकीना पुत्री कुबरा 13. सेहती पुत्री
कुबरा 14. हकीम पुत्र उमर 15. अलाना पुत्र जिन्दा जाति
मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
16. चागलाराम पुत्र जुमा 17. पदमाराम पुत्र जुमा 18.
भागुराम पुत्र जुमा मनजीराम पुत्र जुमा 20. राजाराम पुत्र
जुमा 21. गिरधारी पुत्र सुरता 22. मीरा पत्नि सुरता 23.
शंकर पुत्र सुरता 24. समरथा पुत्र सुरता 25. सवाई पुत्र
सरता जाति मेघवाल नि. बीसासर 26. तहसीलदार सेड़वा


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी
बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 347 / 2023

दिनांक : 04/01/24

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर
भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खसरा संख्या 497 / 168 रकबा 6.0703 हैक्ट. किस्म बारानी
सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता
है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि
सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी
की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने
की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।
तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।
नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस
थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 19-22

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी पांचाराम पुत्र चान्दाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण अजीजला खां पुत्र हनीफ वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / बाखासर / बीजराड़ / धोरीमन्ना / धनाउ।

(विप्रेक्षित) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
दिनांक 04/01/24

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
दिनांक (SDO) सेड़वा